

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:एफ7(2)(579)रा.छा./सान्याअवि/20/16113

जयपुर, दिनांक: 01/8/2022

आदेश

विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, EWS, DTNT, अनुदानित एवं निजी जनसहभागित (पीपीपी मोड) योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवासरत् छात्र-छात्राओं को देय मैस भत्ते की राशि 2500/- रुपये प्रतिमाह में मदवार निर्धारित दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:- (राशि: रूपयों में)

क्र. स.	नाम मद	वर्तमान में देय राशि प्रतिमाह (प्रति आवासी)	संशोधित देय राशि प्रतिमाह (प्रति आवासी)	प्रति छात्र सत्र 9½ माह हेतु नियत राशि	विशेष विवरण
1.	निर्धारित खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं	531	825	7838	खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु
2	ईंधन (कुकिंग गैस) आदि	120	120	1140	मैस समिति के माध्यम से
3	मौसमी सब्जिया	150	150	1425	
4	फल एवं पोषक खाद्य	200	100	950	
5	दूध	300	200	1900	
6	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रेसोज)जूते-मोजे,तौलिये एवं गर्म जर्सी,	320	280	2660	
7	हेयर कटिंग एण्ड हेयर कैयर	40	40	380	
8	चददर, तकिया, खोली एवं खेस आदि का धुलाई	60	40	380	
9	बिजली-पानी	240	230	2185	
10	समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि	20	10	95	
11	छात्रावास की साफ सफाई	74	60	570	
12.	सामान्य मरम्मत-बिजली, वाईरिंग व फिटिंग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेट्री मरम्मत,पंलग मरम्मत आदि	70	70	665	
13	विविध :- एफ.सी.आई. से गेहूँ उपलब्ध होने की दशा में प्रति विद्यार्थी अधिकतम 120/-रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह राशि व्यय की जा सकेगी। शेष अन्तर राशि (375-120=255) का उपयोग राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा जायेगा	375	375	3562	
	योग	2500	2500	23750	

उक्त मदों में से किसी मद विशेष में बचत रहने की स्थिति में उस मद की राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा परन्तु किसी भी स्थिति में कुल व्यय की राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2500/- रुपये एवं प्रतिसत्र 23750/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

(हरि-मोहन मीना)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ 7(2)(579)रा.छा./सान्याअवि/20/16114-16229  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

जयपुर, दिनांक: 01/8/2022

1. महालेखाकार, लेखा हक/लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. जिला कलक्टर..... समस्त।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी..... समस्त।
12. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना), मुख्यावास।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ..... समस्त।
14. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..... समस्त।
15. उपनिदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला कलक्टरों को ई.मेल करावे तथा उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर भी अपडेट करावें।
16. आदेश पत्रावली।

(लोकेश मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)